

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

आदेश पर बँ
कारवाई के
टिप्पणी तारी
सहित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता का राजस्व न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं० – 05/ 2011-12

मुनु दास :-

प्रथम पक्ष

:- बनाम :-

16/- आना रैयत मौजा :- बुधुडीह
आदेश

द्वितीय पक्ष

अभिलेख उपस्थापित ।


वर्तमान वाद आवेदक मुनु दास, पति – स्व० सहदेव मूची , ग्राम – बुधुडीह , थाना- जामताड़ा , जिला - जामताड़ा के मौजा – बुधुडीह , के दाग सं० – 864, रकवा – 1.50 डी० जमीन का भू-दान पट्टा सम्पुष्टि एवं लगान धार्य हेतु आवेदन दिया गया ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं० - 06/ मुक० (भूदान) – 380 /14 1031/ रा० , राँची दिनांक – 11.03.2016 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के कड़िका में (2) सं० – 1411 /रा० , दिनांक – 03.05.05 के द्वारा तत्कालीन कमिटी को बर्खास्त कर दिया गया है। सम्प्रति झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान राज्यन्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी कार्यरत है ।

साथ ही कड़िका (5) के तहत एक भूदान से प्राप्त भूमि को राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा W.P [PIL] No.- 3290/2014 राधादेवी – बनाम- झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक – 09.12.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम , 1954 (झारखण्ड अधिनियम, 12, 1954) की धारा – (3)(1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा - (4)(1) के अनुसार भूदान से प्राप्त भूमि को भूमिहिनों के बीच वितरित करने एवं भूदान भूमि का शुद्धि पत्र निर्गमन – निष्पादन , अनुश्रवण एवं इसका सशक्त ढंग से कार्यान्वयन करने के साथ कार्रवाई के निमित्त कमिटी गठित करने का निर्णय करते हुए निम्नवत/ सदस्यों को मनोनीत किया गया है ।

इस संबंध में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक का कहना है कि उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाता की भूमि है तथा खतियान में पुरातन पतित कहकर दर्ज है । साथ ही यह भूमि प्रतिबंधित सूची में दर्ज है , जो NGDRS मे अपलोड हो गई है । उक्त भूमि पर आवेदक का दखल का भी कोई प्रमाण अंकित नहीं है । यह भूमि दानकर्ता जगत नारायण सिंह की निजी भूमि ही नहीं थी । स्पष्ट है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम तथा संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को एवं उद्देश्यों को विफल करने के क्रम मे यह पट्टा बनाया गया है , जो

प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में अधिसूचना सं०-1031/रा. दिनांक-11.03.2016 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस पर निर्णय करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी जामताड़ा को भेजे।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
जामताड़ा।